राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

<u>एनएसआईसी के माध्यम से विदेश में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश</u>

1. <u>मुख्य बिन्दु:</u>

1) अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम/विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस) के आधीन आयोजित की जाने वाली विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए स्टॉल की बुकिंग के लिए किसी शाखा कार्यालय /एनटीएससी/एनएसएसएचओ के माध्यम से इस स्कीम की दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित/आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। सेल स्कीम बूथ, प्रदर्शनी में उपलब्ध न्यूनतम आकार पर प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि अत्याधिक उत्तर प्राप्त होते हैं, तो एक स्टॉल में दो लोगों की प्रतिभागिता पर भी विचार किया जा सकता है। एक स्टॉल में दो लोगों की प्रतिभागिता का विकल्प अलग-अलग प्रदर्शनी में अलग-अलग होगा।
2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी की एमएसएमईज समेत सभी एमएसएमईज को केवल उन्हीं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा होगी, जिन्हें एनएसआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया हो। ऐसी प्रदर्शनियों की फैक्ट-शीट एनएसआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
3) <u>अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एसएमएएस के अधीन आवेदन देने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के एमएसएमईज से प्रतिभूति जमा के रूप में पूर्ण स्टॉल प्रभार अग्रिम रूप से लिए जाएंगे</u>।
4) अनुसूचित जाति/अनु जनजाति की इकाई को उस स्थिति में प्रतिभूति जमा लौटा दी जाएगी, यदि उनके आवेदन-पत्र को अनुमोदित नहीं किया जाता है या दिशा-निर्देशों का उचित रूप से पालन करते हुए अनुमोदित इकाई ने प्रर्देशनी में भाग लिया हो और इस प्रदर्शनी के बाद अपेक्षित दावा संबंधी दस्तावेज और फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो। यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की कोई अनुमोदित इकाई उसकी ओर से आयोजक को स्टॉल प्रभार भुगतान प्रदान करने के बाद इस प्रदर्शनी में भाग न ले सके तो प्रतिभूति जमा जब्त कर दी जाएगी।
5) <u>यदि कोई एमएसएमई आईसी स्कीम के अधीन आवेदन-पत्र देता है, तो उस एमएसएमई द्वारा मेला आयोजक को स्टॉल प्रभारों के संबंध में सीधे भुगतान करना होगा</u> और यदि उनके आवेदन-पत्र को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आईसी स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस मेले/ प्रदर्शनी के बाद एमएसएमई प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। अगर आवेदन-पत्र अस्वीकार हो जाता है तो एमएसएमई को भागीदारी खर्च स्वयं वहन करना होगा।
6) केवल भारतीय मूल के माल को ही प्रदर्शित करने की अनुमति होगी।
7) किसी भी एमएसएमई की इकाई को एक वित्त वर्ष में दो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक वित्त वर्ष में एक से अधिक एमएसएमई का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
8) एमएसएमई को एक बार अनुमोदन की सूचना दिए जाने के बाद तब तक प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक एनएसआईसी से लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है / एनएसआईसी द्वारा इसकी सूचना नहीं दी जाती है। एनएसआईसी के पूर्व अनुमोदन / सहमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित प्रतिनिधित्व में एमएसएमई द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने से वह एमएसएमई हवाई जहाज का किराया / भाड़ा प्रभार आदि के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति

का दावा करने का पात्र नहीं होगा और इस प्रकार की भूल करने वाले एमएसएमई के खिलाफ एनएसआईसी द्वारा उचित समझी जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है जिसमें एक वर्ष तक भविष्य में एनएसआईसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने से वंचित करना भी शामिल है।

9) अनुमोदित एमएसएमई सभी आवश्यक यात्रा व्यवस्था करने, वीजा प्राप्त करने, माल-भाड़े की व्यवस्था आदि स्वयं करेगा और आईसी/एसएमएएस स्कीम की दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य रकम का दावा करेगा, बशर्ते कि मेला / प्रदर्शनी के समापन के बाद सभी अपेक्षित दावा संबंधी दस्तावेज समय पर प्रस्तुत कर दिए जाएं।

10) संबंधित फील्ड कार्यालय को चाहिए कि वह अनुमोदित इकाईयों पर नियमित रूप से नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि इकाईयां बीजा के लिए समय पर आवेदन-पत्र दें और समय पर प्रदर्शनी में भाग लें।

11) अनुमोदित इकाईयों के प्राधिकृत प्रतिनिधि मेले की पूरी अवधि के दौरान अपने स्टॉल में उपस्थित रहेंगे।

12) संबंधित फील्ड कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेले में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार ही हों। यदि यह पाया जाता है कि प्रदर्शित किए गए उत्पाद उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार नहीं हैं या प्राधिकृत प्रतिनिधि स्टॉल पर नहीं है, तो एनएसआईसी के माध्यम से आवंटित स्टॉल को रद्द कर दिया जाएगा और उस यूनिट को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी / प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

13) हवाई जहाज के किराए संबंधी सब्सिडी का दावा एमएसएमई की इकाई के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए ही स्वीकार्य होगा, जिसने इस आयोजन में भाग लिया है (जिसके नाम में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय वचन-पत्र दिया गया है)

14) आईसी स्कीम के खंड संख्या 5.2.2 में उल्लिखित विज्ञापन एवं प्रचार व्यय केवल मंत्रालय / विभाग के लिए उपलब्ध है, जिसे उसने विदेशी भूमि पर खर्च किया हो और यह एमएसएमईज के लिए उपलब्ध नहीं है।

2) <u>पात्रता का मापदंड:</u>

I) उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले एमएसएमई
II) केवल विनिर्माण/ सेवा क्षेत्र से संबंधित एमएसएमई।
III) एमएसएमईज को एमएसएमई डेटा बैंक पर पंजीकृत होना चाहिए।

3) <u>आवेदन-पत्र की प्रक्रिया:</u>

एनएसआईसी द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने की इच्छुक इकाइयां एनएसआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय/ एनटीएससी / एनएसएसएचओ में आवेदन-पत्र देंगे। इसके साथ वे फैक्ट्स-शीट में उल्लिखित अंतिम तारीख के अंदर अपेक्षित रकम और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। ये अपेक्षित दस्तावेज इस प्रकार हैं :

1- आवेदन- पत्र फार्म (अनुबंध-I)
2- उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन, जीएसटीआईएन की प्रति
3- प्रमोटर की श्रेणी या श्रेणियों के समर्थन में सबूत (महिला, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, पूर्वोत्तर क्षेत्र) आदि।
4- पिछले दो वर्ष का लेखा परीक्षा तुलन-पत्र या आयकर विवरण की प्रति।
5- कंपनी के विवरणों की प्रति
6- कंपनी के पत्र शीर्ष पर निर्धारित फार्मेट में वचन-पत्र (अनुबंध II)

7- कंपनी के उस प्रतिनिधि के पासपोर्ट (जो उस समारोह से कम से कम 6 माह बाद तक के लिए वैध हो, जिसके लिए आवेदन-पत्र दिया है) की प्रति, जो मेले में भाग लेगा।
8- पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत यूनिट इकाई की यूनिक आईडी।
9- इकाई (यथास्थिति स्वामित्व/ भागीदारी/ कंपनी) के चालू खाते का एक रद्द किया गया चैक। इस संबंध में मेनडेट फार्म प्राप्त किया जाएगा।
10- किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट या आरटी जीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किया गया भुगतान, जो फील्ड कार्यालय के संबंधित बैंक में प्रतिभूति जमा के रूप में स्टॉल का पूरा किराया होगा (केवल एसएमएएस के मामले में)
11- स्कोर कार्ड (अनुबंध-III) में न्यूनतम अर्हक स्कोर/ अंक 60 प्रतशित होने चाहिए (केवल आईसी स्कीम के मामले में)
12- बजट अनुमान (अनुबंध-IV) (केवल आईसी स्कीम के मामले में)
13- दिशानिर्देशों और एसएमएएस/ आईसी स्कीम की टाइप प्रति, जिस पर प्रतिभागी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों।
14- इकाई एमएसएमई डेटा बैंक पर पंजीकृत होनी चाहिए।

टिप्पणी: किसी भी स्थिति में नकद जमा/ चैक की अनुमति नहीं होगी।

4) <u>समयावधि</u>

1) एनएसआईसी की वेबसाइट पर उपर्युक्त प्रदर्शनी की फैक्ट शीट प्रदर्शित किए जाने के बाद ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए और ये आवेदन-पत्र फैक्ट शीट में उल्लिखित अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
2) फील्ड कार्यालय सभी प्रस्तावों की पूर्ण रूप से जांच करके अपने ज़ोनल हेड की सिफारिश के साथ फैक्ट-शीट में उल्लिखित कट-ऑफ तिथि के 3 दिनों के भीतर मुख्य कार्यालय मे भेजेंगे।

5) <u>प्रतिभागियों का चयन:</u>

1) आईसी स्कीम के अधीन एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में कम से कम 10 इकार्यों का भाग लेना अपेक्षित होता है एवं एसएमएएस के अधीन एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में कम से कम 5 इकार्यों का भाग लेना अपेक्षित होता है, यदि अपर्याप्त आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो एनएसआईसी उपर्युक्त प्रदर्शनी में भाग लेना स्थगित कर सकता है।
2) यदि अत्यधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो एमएसएमई का चयन निम्नलिखित विधि द्वारा निर्देशित होगा, बशर्ते कि उत्पाद का विवरण प्रदर्शनी के थीम के अनुरूप हो:

- प्रतिभागिता की न्यूनतम संख्या, जिसमें उस वित्त वर्ष में पहली बार भाग लेने वाले प्रतिभागी भी शामिल होंगे।
- पहले आओ पहले पाओ के आधार पर।
- यदि एक ही समय और तारीख में विभिन्न इकाइयों के आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो इकाईयों की जांच/ चयन नीचे दिए गए तरीके से की जाएगी :
  - ➢ विशिष्ट उत्पाद / सेवा ।
  - ➢ नया/ नवीन उत्पाद/ प्रोद्योगिकी / सेवा।

  चयन का मापदंड उपर्युक्त क्रम में लागू किया जाएगा।

3) फील्ड कार्यालय उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उत्पाद के विवरणों के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक इकाई के विवरण, प्रदर्शनी में प्रदर्शित विवरणों के अनुरूप हैं। यदि इकाई की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अपेक्षित हो, तो संबंधित फीड कार्यालय द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा।

4) एक ही आयोजन के केवल दो संस्करणों में भाग लेने के लिए एक इकाई को सहायता प्रदान की जाएगी।
5) निकटतम/ रक्त संबंधी/ एक ही परिवार के एमएसएमई / प्रतिनिधियों को उसी आयोजन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
6) ऐसी एमएसएमईज को वरीयता दी जाएगी, जिन्होंने पहले एसएमएएस/आईसी स्कीमों के अधीन कोई लाभ नहीं उठाया हो।
7) एनएसआईसी की वेबसाइट पर फैक्स-शीट प्रदर्शित किए जानी की तारीख से पहले दिया गया आवेदन-पत्र और तैयार किया गया डिमांड ड्राफ्ट/ अदायगी आदेश / आरटीजीएस/ एनईएफटी पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी आयोजन में भाग लेने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से स्वत: यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि उसके आवेदन-पत्र को अनुमोदित किया जाए।
8) भागीदारी के लिए आवेदन जमा करने से स्वचालित रूप से अनुमोदन का अधिकार प्रदान नहीं होता है।
9) प्रतिभागिता का अनुमोदन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम तथा आबद्धकर होगा।

6) <u>वीज़ा:</u>

1) संबंधित इकाईयां आवश्यक वीजा पत्र जारी करने और स्टॉल आबंटन आदि के संबंध में मेले के आयोजकों से सीधे संपर्क करेंगे।
2) यदि संबंधित मेजवान एमबेसी/ मार्गस्थ देश द्वारा किसी कारण वश प्रतिभागी एमएसएमई के प्रतिनिधि को वीजा देने से इनकार किया जाता है, तो एनएसआईसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7) <u>सामान्य:</u>

1) यदि कोई मेला/ प्रदर्शनी स्थगित कर दी जाए/ उसका परित्याग कर दिया जाए / उसे रद्द कर दिया जाए अथवा किसी कारणवश किसी इकाई के उत्पादों को प्रदर्शित न करने दिया जाए तो एनएसआईसी किसी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एनएसआईसी के वेबसाइट पर उपलब्ध समारोह का कैलेंडर अंतरिम है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसे एनएसआईसी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा यदि अपर्याप्त आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो एनएसआईसी को यह अधिकार होगा कि वह उस समारोह में भाग लेने से अपना नाम वापस ले सकता है और यदि यूनिटों से कोई रकम प्राप्त की गई हो तो वह बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
2) प्रतिभागियों को आबंटित स्थान का प्रयोग केवल उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जैसा कि एनएसआईसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। यदि कोई इकाई उसके उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित उसके द्वारा विनिर्मित/ उत्पादित उत्पादों से भिन्न उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है, तो उस इकाई का प्रतिपूर्ति का दावा रद्द कर दिया जाएगा/ उसकी प्रतिभूति जमा जब्त कर दी जाएगी और उसे एक वर्ष तक भविष्य में एनएसआईसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
3) आबंटित स्थान को उप किराएदारी पर देने की अनुमति नहीं है। इस दिशानिर्देश का उल्लंघन करने पर या आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद इकाई की प्रतिभागिता को स्थगित करने / वापस लेने पर एसएमएएस / आईसी / पीएमएसएस स्कीम के अधीन एनएसआईसी द्वारा आयोजित / प्रतिभागी आयोजन में भविष्य में भाग लेने से उस प्रतिभागी पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उस प्रतिभागी द्वारा जमा रकम जब्त की जाएगी। इसके अलावा ऐसी भूल करने वाली इकाई के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसमें हवाई जहाज के किराए, माल-भाड़ा सब्सिडी आदि के दावे का भुगतान करने से इनकार करना भी शामिल है।

4) प्रदर्शनी में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई को मेले के पहले दिन से ही अपने उत्पादों/ सेवाओं/ प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना होगा। और मेले की संपूर्ण अवधि के दौरान आबंटित स्टॉल पर उपस्थित रहना होगा।

5) प्रतिभागिता संबंधी इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद को संबंधित निदेशक, एनएसआईसी को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा।

8) <u>हवाई जहाज के किराए की प्रतिपूर्ति /माल-भाड़े की सब्सिडी:</u>

<u>आईसी स्कीम</u> :

I) प्रतिभागिता के बाद उस प्रदर्शनी के समापन के 30 दिन के अंदर अनुमोदित इकाईयां आईसी स्कीम के अनुसार अनुबंध V, VI, फीडबैक फॉर्म और स्टाल फोटो और अपेक्षित दावा दस्तावेज सहित कंपनी के पत्र शीर्ष पर उसी फील्ड कार्यालय को दावे की प्रतिपूर्ति का अनुरोध प्रस्तुत करेंगे, जहां आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था, ऐसा न करने पर ऐसा समझा जाएगा कि इकाई प्रतिपूर्ति लेने में रुचि नहीं रखती है और प्रदर्शनी की समाप्ति के 30 दिन के बाद किसी दावे से संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

II) वास्तविकता के अनुसार और आईसी स्कीम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा तक संबंधित इकाईयों को 100 प्रतिशत इकॉनोमी क्लास का हवाई जहाज के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

III) भारत में घरेलू मार्गों पर की गई यात्रा के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

IV) हवाई जहाज के किराए की सब्सिडी का दावा एमएसएमई इकाई के उसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्वीकार्य होगा, जिसने इस आयोजन में भाग लिया है (जिसके नाम में आवेदन-पत्र देते समय वचन-पत्र प्रस्तुत किया गया है)

V) प्रतिभागी (प्रतिभागियों) की ओर से किसी अन्य पक्षकार (एसोसिएशन आदि) से प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा)

VI) आयोजन विशेष के लिए यूनिटों से निर्धारित फार्मेट के अनुसार प्राप्त दावे आईसी स्कीम के अधीन प्रतिपूर्ति के लिए एनएसआईसी द्वारा अपने मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

VII) इसके बाद मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृत रकम पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उस इकाई के खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

<u>आईसी स्कीम के अधीन दावा संबंधी दस्तावेजों की जांच-सूची</u>

- ✓ आवरण-पत्र
- ✓ आईसी स्कीम के अनुसार अनुबंध V, VI
- ✓ उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति
- ✓ ई-टिकट में ही उल्लिखित हवाई जहाज के किराए सहित सब प्रकार से पूर्ण ई- टिकट
- ✓ हवाई टिकट की खरीद का मूल बीजक
- ✓ सभी क्षेत्रों के लिए मूल बोर्डिंग पास
- ✓ स्टॉल प्रभारों के दावों के संबंध में किए गए भुगतान की रसीद माल-भाड़ा प्रभार, प्रवेश/ पंजीकरण शुल्क सहित मूल बीजक / बिल
- ✓ पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत इकाई की यूनिक आईडी
- ✓ इकाई के पैनकार्ड की प्रति
- ✓ विधिवत भरा गया और प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित फीडबैक फार्म (अनुबंध VII)
- ✓ आयोजन के स्थल पर स्टॉल का फोटोग्राफ

<u>एसएमएएस स्कीम</u>

I. प्रतिभागिता के बाद उस समारोह के समापन के 30 दिन के अंदर अनुमोदित इकाइयां, सभी अपेक्षित दावा दस्तावेज सहित कंपनी के पत्र शीर्ष पर उसी फील्ड कार्यालय को दावे की प्रतिपूर्ति का अनुरोध प्रस्तुत करेंगे, जहां आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था, ऐसा न करने

पर ऐसा समझा जाएगा कि इकाई प्रतिपूर्ति लेने में रुचि नहीं रखती है और समारोह की समाप्ति के 30 दिन के बाद किसी दावे से संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

II. उपर्युक्त प्रदर्शनी में भाग लेने वाली किसी इकाई द्वारा दावा किए गए न्यूनतम इकोनोमी क्लास के हवाई जहाज के किराए के आधार पर यूनिटों को हवाई जहाज के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

III) भारत में घरेलू मार्गों पर की गई यात्रा के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

IV) हवाई जहाज के किराए की सब्सिडी का दावा एमएसएमई इकाई के उसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्वीकार्य होगा, जिसने इस आयोजन में भाग लिया है (जिसके नाम में आवेदन-पत्र देते समय वचन-पत्र प्रस्तुत किया गया है)

V) प्रतिभागी (प्रतिभागियों) की ओर से किसी अन्य पक्षकार (एसोसिएशन आदि से प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा)

VI) दावे की प्रतिपूर्ति की रकम पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उस इकाई के खाते में अंतरित की जाएगी।

एसएमएएस स्कीम के अधीन दावा संबंधी दस्तावेजों की जांच-सूची

- ✓ आवरण-पत्र
- ✓ ई-टिकट में ही उल्लिखित हवाई जहाज के किराए सहित सब प्रकार से पूर्ण ई- टिकट
- ✓ हवाई टिकट की खरीद का मूल बीजक
- ✓ सभी क्षेत्रों के लिए मूल बोर्डिंग पास
- ✓ माल-भाड़ा प्रभारों के दावों के संबंध में किए गए भुगतान की रसीद सहित मूल बीजक/ बिल
- ✓ पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत इकाई की यूनिक आईडी
- ✓ निर्धारित फार्मेट के अनुसार दैनिक भत्ता संबंधी वचन-पत्र
- ✓ विदेशी मुद्रा की खरीद का बीजक
- ✓ होटल की बुकिंग के संबंध में बीजक और भुगतान का सबूत (व्यक्तिगत प्रकार के किसी व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा, यथा भोजन और नाश्ता, लाउण्ड्री आदि, जो होटल के बिल में शामिल किए गए हों)
- ✓ विधिवत भरा गया और प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित फीडबैक फार्म (अनुबंध VII)
- ✓ आयोजन के स्थल पर स्टॉल का फोटोग्राफ

टिप्पणी :

- ➢ आईसी/ एसएमएएस स्कीम के अधीन ऊपर बताए गए दावा संबंधी सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं और उन्हें इकाई के प्रमोटर द्वारा स्व- साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।
- ➢ हवाई जहाज के किराए की उसी स्थिति में प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि आयोजन के आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व के अंदर और इस आयोजन के समापन के एक सप्ताह के बाद तक यह यात्रा की गई हो।
- ➢ माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त सामान पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ➢ अपूर्ण दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ➢ एमएसएमई मंत्रालय द्वारा मांगे गए कोई अन्य दस्तावेज

9) प्रति अदायगी:

I. प्रदर्शनी में एसएमएएस योजना के तहत प्रतिभागी इकाई द्वारा जमा की गई रकम एनएसआईसी द्वारा उस स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी, यदि वीजा दिए जाने से इनकार किया गया हो/ वीजा प्राप्त होने में विलंब हुआ हो और एनएसआईसी ने इकाई की ओर से आयोजक को स्टॉल का भुगतान पहले ही कर दिया हो।

II. प्रतिभागिता शुल्क की वापसी पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, यदि स्थान उपलब्ध न

हो, आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया हो या पर्याप्त आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के सकारण

प्रदर्शनी को एनएसआईसी द्वारा प्रदर्शनी को रद्द कर दिया गया हो या कोई अन्य कारण हो, बशर्ते एनएसआईसी द्वारा मेले के आयोजक को स्टॉल प्रभारों के संबंध में भुगतान नहीं किया गया हो।

III. प्रदर्शनी में आईसी योजना के तहत यूनिट द्वारा भागीदारी के लिए आयोजक को किए गए भुगतान के संबंध में किसी भी विवाद के लिए एनएसआईसी जिम्मेदार नहीं होगा। इकाइयाँ और आयोजक ऐसे मामलों का निपटारा स्वयं आपस में करेंगे।

विदेश में आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने की इच्छुक सभी इकाईयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपर्युक्त दिशा निर्देशों और एसएमएएस / आईसी स्कीम को पढ़ें और उससे सहमत हों। प्रतिभागियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिशानिर्देशों और एसएमएएस/ आईसी स्कीम की टाइप प्रति आवेदन- पत्र फार्म के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

****

अनुबंध-I

आवेदन-पत्र फार्म विदेशों में आयोजित किए जाने वाले एनएसआईसी द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए (सभी फील्ड को भरना अनिवार्य है)				
1.	प्रदर्शनी का नाम			
2.	अवधि / तारीख एवं स्थान			
3.	आयोजन का संक्षिप्त विवरण			
4.	इस आयोजन में भाग लेने का उद्देश्य			
5.	एनएसआईसी से सहायता चाहने वाली इकाइयों के विवरण			
क.	इकाई का नाम (वेबसाइट, यदि कोई हो, सहित)			
ख.	उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार क्षेत्र (कृपया समुचित कॉलम पर सही का निशान (√) लगाएं)	विनिर्माण	सेवा	
ग.	उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार श्रेणी कृपया समुचित कॉलम पर सही का निशान (√) लगाएं	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
घ.	उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या			
ड.	विनिर्मित उत्पादों / दी गई सेवाओं का विवरण (उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुरूप होना चाहिए)			
च.	पैन संख्या			
छ.	एमएसएमई डेटा बैंक पर पंजीकृत	हां नहीं		
ज.	आयात-निर्यात कोड संख्या			
झ.	जीएसटीआईएन			
ञ.	क्या आईएसओ द्वारा प्रमाणित हैं	हां नहीं		

ट.	प्रमोटर की श्रेणी कृपया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला या पूर्वोत्तर के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें) (कृपया समुचित कॉल पर सही का निशान (√) लगाएं	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला उद्यमी	पूर्वोत्तर
ठ.	प्रमोटर / मुख्य कार्यपालक का नाम					
ड.	संपर्क व्यक्ति					
ढ.	कारखाना / इकाई का पता					

ण.	संपर्क के विवरण	फोन	फैक्स	मोबाइल	ई- मेल
त.	प्रमोटर के निवास स्थान का पता				
6.	प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद का विवरण				

क.	प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पादों का प्रकार	मशीन	उपकरणों	ब्राशर डिस्प्ले आदि	इलेक्ट्रोनिक श्रव्य / दृश्य आदि	कोई अन्य (कृपया उल्लेख करें)
	कृपया समुचित खाने (खानों) पर सही का निशान (√) लगाएं					

7.	पासपोर्ट के विवरण					
क.	पासपोर्ट में दिया गया नाम	जन्म तिथि	पासपोर्ट संख्या	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख	समाप्ति की तारीख
8.	स्टॉल के किराए के संबंध में की गई प्रतिभूति जमा का विवरण (केवल डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी)	रकम (भारतीय रुपये में)	बैंक का नाम	बैंक का पता	डीडी नंबर	डीडी / ऑनलाइन भुगतान की तारीख

9.	क्या इस इकाई ने विशेष विपणन सहायता/अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अधीन पिछले 3 वित्त वर्ष एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान इस निगम से सहायता का लाभ उठाया है। (कृपया सही का निशान ( ) लगाएं)	हां	नहीं

क.	यदि हां, तो कृपया ये विवरण दें	उस प्रदर्शनी का नाम/तारीख/ स्थान, जिसमें भाग लिया था	पिछली प्रतिभागिता से उपार्जित लाभ

10	मैंने एनएसआईसी के माध्यम से भाग लेने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम /विशेष विपणन सहायता स्कीम की शर्तों / दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना सही और सत्य है।

	तारीख :	स्थान :	नाम और हस्ताक्षर :
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक इस्टेट, टेलीफोन : 011-26926275 website: www.nsic.co.in			

<u>अनुबंध- II</u>

वचन-पत्र

(कंपनी के पत्र शीर्ष पर कंपनी की सील सहित)

मैं, ___________________________(कंपनी का नाम) की ओर से एतद् द्वारा एनएसआईसी को इस बात की पुष्टि करने का वचन देता हूं कि हमारी कंपनी________________________________(प्रदर्शनी के स्थान) पर दिनांक ________________से (प्रदर्शनी की तारीख) से आयोजित की जा रही प्रदर्शनी______________________________________ (प्रदर्शनी का नाम) के दौरान केवल______________________________________(प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद) को प्रदर्शित करेगी।

मैं, ___________________________________(प्रतिनिधि का नाम) अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करेंगा। मेरा पदनाम (प्रतिनिधि का पदनाम)_________________________है और मैं, कंपनी का स्थायी कर्मचारी हूं और पिछले____________________________वर्ष से इस कंपनी में कार्य कर रहा हूं (यदि कर्मचारी को इस प्रदर्शनी के लिए कार्य करने के अनुभव के वर्षों का उल्लेख करें) (कृपया सबूत प्रस्तुत करें)

मैं, अपने पासपोर्ट और कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व करने संबंधी प्राधिकार-पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने का वचन भी देता हूं। मैं, उपर्युक्त प्रदर्शनी में कंपनी की ओर से भाग ले रहा हूं। मैं, यह भी वचन देता हूं कि मैं, इस यात्रा में आने-जाने से संबंधित सभी वित्तीय एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं,_________________________(उस देश का नाम, जहां प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए जाना है) में ठहरूंगा।

मैं, इस अंतरराष्ट्रीय मेले/ प्रदर्शनी में भाग लेने संबंधी निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करूंगा :

I) केवल भारतीय मूल के माल / प्रौद्योगिकी को ही इस मेले में प्रदर्शित करने की अनुमति होगी।

II) यदि यह मेला / प्रदर्शनी स्थगित/ रद्द की जाती है अथवा यदि एनएसआईसी कि नियंत्रण से बाहर के कारण प्रदर्शित किए जाने वाले माल को प्रदर्शित नहीं करने दिया जाता है, तो एनएसआईसी किसी हानि या देयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

III) अनुमोदित प्रतिभागी को आबंटित स्थान का एनएसआईसी द्वारा यथा अनुमोदित वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए उनके द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा। स्थान को उप-किराये पर देने की अनुमति नहीं होगी।

IV) यदि किसी दिशानिर्देश में चूक की जाती है या उसका उल्लंघन किया जाता है, तो इसके कारण सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और प्रतिभागी को एनएसआईसी के माध्यम से आयोजित किसी मेले/ प्रदर्शनी में भाग लेने से भविष्य में बंचित किया जाएगा।

V) यदि इस मेले के दौरान चोरी या वीजा / पासपोर्ट / दस्तावेजों की हानि सहित कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो एनएसआईसी इनके किसी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

VI) यदि विदेशी भूमि में कोई कानूनी मामला पैदा हो जाता है, तो एनएसआईसी किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा।

VII) उपर्युक्त प्रदर्शनी के समापन के बाद, मैं भारत लौट आऊंगा।

VIII) मैं, प्रदर्शनी के समापन की तारीख से 30 दिन के अंदर, दिशानिर्देशों के अनुसार एनएसआईसी को दावा संबंधी सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दूंगा, ऐसा न करने पर मेरा दावा रद्द हो जाएगा।

IX) यदि प्रतिभागिता की इन शर्तों के कारण कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है, तो उसे संबंधित निदेशक, एनएसआईसी को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा।

X) प्रतिभागिता की शर्तें, दिल्ली राज्य के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की सील)

नाम :
____

पदनाम :
____

तारीख :
____

<u>अनुबंध- III</u>

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी / मेले में भाग लेने के लिए एनएसआईसी के चयन हेतु स्कोर कार्ड (कुल स्कोर- 65 अंक)

एमएसएमई का नाम और उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नं. . . . .

क्रम सं.	विषय	स्कोरिंग की विधि	आबंटित अंक (एमएसएमई इकाई द्वारा भरा जाएगा)
1.	पिछले 5 वित्त वर्ष के दौरान एक	पहलीबार प्रतिभागिता के लिए -10	

	व्यापार मेले में इस इकाई द्वारा कितनी बार भाग लिया गया	दूसरीबार प्रतिभागिता के लिए -02 तीसरीबार प्रतिभागिता के लिए -0	
2.	उद्यम का स्वामी	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिला - 10 अनु. जाति/ अनु. जनजाति -09 सामान्य - 08	
3.	इकाई का स्थान	पूर्वोत्तर क्षेत्र-05 अन्य -04	
4.	इकाई का दूरस्थ स्थल	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित -10 नगर में स्थित - 08 महानगर में स्थित - 06	
5.	विनिर्मित उत्पाद की गुणता	आईएसओ प्रमाणित - 05 गैर- आईएसओ प्रमाणित - 03	
6.	नवीन / पेटेंटेड उत्पाद / प्रौद्योगिकी	पेटेंटेड - 05 गैर- पेटेंटेड - 04	
7.	उद्यम की श्रेणी	सूक्ष्म - 10 लघु - 08	
8.	व्यापार मेले में भाग लेने के लिए इकाई का उद्देश्य	बी2बी कार्य / अवसर / बैठक-10 उत्पादों की फुटकर बिक्री - 05	
	जोड़		

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए स्कोर कार्ड के विवरण सही हैं और उसमें कुछ छिपाया नहीं गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम :

____

पदनाम :

____

तारीख : ___________________________________

अनुबंध- IV

बजट अनुमान

क्रम सं.	मद	कुल अनुमानित व्यय (रुपयों में)	एसएमएएस/आईसी के अधीन मांगी गई सहायता (रुपयों में)
1.	स्टॉल का किराया		
2.	हवाई जहाज का किराया		
3.	माल भाड़ा		
4.	प्रवेश / पंजीकरण शुल्क (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए लागू नहीं क्योंकि यह डी.ए. के अधीन आता है)		
5.	एसएमएएस के अधीन दैनिक भत्ता		

	(केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की एमएसएमई के लिए लागू)		
	जोड़		

(आवेदक इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की सील)

नाम :
____

पदनाम :
____

दिनांक : ___________________________________

स्थान : ___________________________________

अनुबंध- V

दावा प्रपत्र

1	एमएसएमई इकाई का नाम
2	पूरा पता, फोन, फैक्स, ई-मेल
3	एमएसएमई मंत्रालय के सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र की संख्या और तारीख

4	प्रदर्शनी का नाम, अवधि, तिथि और स्थान
5	प्रदर्शनी प्रतिक्रिया रिपोर्ट (लगभग 200 शब्द).

6. दावा विवरण:

क्रमिक संख्या	ब्यौरा	वास्तविक व्यय (रुपये)	दावे की राशि (रुपये)
1	स्टाल किराया		
2	विमान किराया		
3	माल-भाड़ा		
4	प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, यदि पहले से ही स्टाल किराए में शामिल नहीं है *(एससी / एसटी एमएसएमई के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह डीए के अंतर्गत आता है)*		
5	एसएमएएस के तहत दैनिक भत्ता (डीए) *(केवल एससी/एसटी एमएसएमई के लिए लागू)*		
	TOTAL		

i. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है और कार्यक्रम के आयोजन में किए गए वास्तविक खर्च पर आधारित है.

ii. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिनिधियों के लिए हवाई टिकट सबसे सस्ती उपलब्ध किफ़ायती दरों पर खरीदे गए थे.

iii. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिनिधियों ने सबसे छोटे मार्ग से यात्रा की.

(आवेदक इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की सील)

नाम:_______________________________________

पदनाम:__________________________________

दिनांक : ____________________________________

स्थान : ____________________________________

चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र

मैंने उपरोक्त जानकारी को खातों, बिलों, वाउचरों आदि की पुस्तकों से सत्यापित किया है और इसे सही होने के लिए प्रमाणित करता हूं।

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर

सदस्यता संख्या

सील

दिनांक:_______________________________

अनुबंध- VI

(मूल में इकाई के लेटर हेड पर)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय के मंजूरी पत्र संख्या _________ दिनांक __________ द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के उद्देश्य के लिए कोई अनुदान सहायता भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या सरकारी संस्थान / एजेंसी से प्राप्त नहीं किया गया है ।

(आवेदक इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की सील)

नाम:_______________________________________

पदनाम:____

दिनांक : ____________________________________

स्थान : ____________________________________

अनुबंध- VII

प्रतिभागियों का फीडबैक फॉर्म

(सभी प्रतिभागियों द्वारा स्वयं अलग-अलग भरी जाएगी)

(सभी कॉलम भरे जाने चाहिए)

1.	प्रतिभागी इकाई का नाम	
2.	पता	
3.	प्रतिभागी का नाम और पदनाम	
4.	फोन नंबर (मोबाइल) कार्यालय	
5.	ई- मेल	
6.	इकाई का वेबसाइट पता	
7.	मेले / प्रदर्शनी का नाम / स्थान / अवधि	
8.	इस मेले / प्रदर्शनी में भाग लेने के लाभों के बारे में प्रतिभागी की टिप्पणी	
9.	उत्पन्न निर्यात संबंधी पूछताछ की संख्या और मूल्य (भारतीय रुपये में)	
10.	तय किए गए कारोबार / बुक किए गए आदेशों का विवरण	
11.	अन्य उपलब्धियां यथा संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी अंतरण करार आदि (कृपया विवरण दें)	
12.	इस मेले / प्रदर्शनी में आने वाले कारोबारी आगंतुकों की संख्या	
13	क्या आप ऐसे आयोजन में पुनः भाग लेना चाहेंगे।	
14.	इस आयोजन में ध्यान में आयी ऐसी प्रौद्योगिकियों का विवरण, जो भारत में एमएसएमई के लिए उपयोगी होंगी (ब्रॉसर और अन्य संगत साहित्य की प्रतियां अलग सीट के रूप में संलग्न की जा सकती हैं)	

देश	फील्ड / क्षेत्र	प्रौद्योगिकी का विवरण	कंपनी के संपर्क विवरण (फोन नंबर / ई-मेल आदि)

15.	अभ्युक्ति/ सुझाव, यदि कोई हो	

संलग्न : समारोह के स्थल पर आबंटित बूथ का फोटोग्राफ

तारीख :

प्रतिभागी के हस्ताक्षर/ नाम/ पदनाम